CHAPTER III

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद के अधिकारियों एवम् कर्मचारियों को समयबद्ध वेतनमान स्वीकृति सम्बंधी नियम एवम् रीति

Rules & Procedure of granting Time Bound Scales to Officers and Staff of UPSEB

सतर्कता जाँच अथवा विभागीय कार्यवाही का लम्बित होना समयबद्ध वेतनमान की अनुमन्यता में बाधक नहीं

संख्या 523-पी०/रा.वि.प.-117पी०/87 दिनांक : अप्रैल 25, 1987

मुझे यह निवेदन करने का निर्देश है कि पार्श्वांकित परिषदाज्ञाओं द्वारा राज्य शासन की अनुरूपता में यह आदेश प्रसारित किये हुए थे कि परिषदीय सेवकों को स्थायीकरण, प्रोन्नति, परिवीक्षा अवधि की सफलतापूर्वक समाप्ति से पूर्व दक्षतावरोध लांघने, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत वैयक्तिक वेतन अनुमन्य कराते समय व समयवद्ध वेतनमान में नियुक्ति के अवसर पर संगत सेवाभिलेखों के अवलोकन के अतिरिक्त इस बात की भी पुष्टि ले ली जाया करे कि सम्बन्धित सेवक के विरुद्ध कोई सतर्कता जाँच, प्रशासनाधिकरण/जांच समिति अथवा अभियोजन या अन्य विभागीय कार्यवाही तो नहीं चल रही है। विद्यमान आदेशानुसार उक्त विषयों में मात्र सतर्कता जाँच को छोड़कर अन्य कार्यवाहियों के परिणाम देखकर ही अपेक्षित निर्णय लिये जाते हैं। आवश्यकतानुसार बन्द लिफाफे की प्रक्रिया अपनाई जाती रही है।

1.	सं०-8724-ए/राविप-एक242ए/65,	दि० 25 अगस्त,	72
2.	सं०-4800-जी/राविप-एक-244ए/72,	दि० 5 जुलाई,	78
3.	सं०-8513-जी/राविप-एक-244ए/72,	दि० 4 नवम्बर,	78
4.	सं०-864-जी/राविप-एक 244ए/82,	दि० 1 अप्रैल,	80
5.	सं०-1094-जी/राविप-एक-75ए/70,	दि० 17 अक्टूबर,	79
6.	सं०-556-जी/राविप-एक-52ए/80,	दि० 24 फरवरी,	82

इस विषय पर भली प्रकार विचारोपरांत परिषद ने अब सहर्ष निर्णय लिया है कि सतर्कता जाँच तथा विभागीय कार्यवाही लम्बित होने के कारण मात्र दक्षता रोक पार करने, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत वैयक्तिक वेतन की स्वीकृति तथा समयवद्ध वेतनमान दिये जाने के मामलों में न तो बन्द लिफाफे की प्रक्रिया अपनाई जायेगी और न उक्त आधार पर सम्बन्धित सेवकों के देय रोके जायेंगे। तथापि, पहले से चली आई प्रक्रिया ऐसे विषयों में यथाक्त अपनाई जाती रहेगी जिनमें सम्बन्धित सेवक निलम्बित हो, उसके विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही चल रही हो, उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न हो, ट्रैप में [छापे पर] गिरफ्तारी हुई हो अथवा आर्थिक प्रशस्ति/प्रत्याप्ति [रिकवरी] किये जाने की स्थिति हो। अन्य विषय यथा-प्रोन्नति, स्थायीकरण आदि के मामलों में भी उपर्युक्त छूट का निर्णय लागू नहीं होगा और इनमें विद्यमान प्रक्रियानुसार ही कार्यवाही की जाती रहेगी।

मुझे यह भी कहने का निदेश है कि जिन विषयों पर प्रचलित प्रक्रिया तथा उक्त नये आदेशों में कोई विरोधाभास परिलक्षित होता है वहाँ प्रचलित आदेश ही प्रभावी माने जायेंगे।

Scanned with CamScanner